प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 21-07-2022

विषय- जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी ओमकारेश्वर शुक्ला उर्फ रामचरन पुत्र स्व0 जगन्नाथ शुक्ला को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-22752/सामा-1(8)/116/बाराबंकी, दिनांक 13-07-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी ओमकारेश्वर शुक्ला उर्फ रामचरन पुत्र स्व0 जगन्नाथ शुक्ला को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, पीलीभीत में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी/पीलीभीत।
5- पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी/पीलीभीत।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, बाराबंकी से जिला कारागार, पीलीभीत में स्थानान्तरित किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
7- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in